

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 231/2013 जी.सी.एम.संख्या 2013/00028

1. संतोष कंवर पुत्री किशोर सिंह पत्नी श्री बीरबल सिंह निवासी मु०पो० सिंघाडिया, वाया तोषिणा, तहसील जाई, जिला नागौर।

—अपीलांत

बनाम

1. किरण कंवर पत्नी श्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर। (नाम हजफ)
2. बलवीर सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. तंवर सिंह दत्तक पुत्र दलेल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुगालिया हाल निवासी प्लाट नम्बर 7, प्रेम नगर, पिप्लया वाली ढाणी, झोटवाडा जयपुर।
4. चांद कंवर पुत्री किशोर सिंह पत्नी श्री सम्पत सिंह निवासी बरवाली, वाया मकराना तहसील मकराना जिला नागौर।
5. राजकंवर पुत्री किशोर सिंह पत्नी श्री माथूसिंह निवासी ग्राम जलामलिया, छोटी बडी खाटू, तहसील रेनीगावं जिला नागौर
6. रूपकंवर पुत्री श्री किशोर सिंह पत्नी श्री किशोर सिंह हाल निवासी बरवाली, तहसील मकराना जिला नागौर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

—रेरपोडेण्टर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर आदेश दिनांक 02.09.1998 मिसल संख्या 109/98 के विरुद्ध बंउनवांनी बलवीर सिंह बनाम तंवर सिंह वगै०

उपस्थित—

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल, वकील अपीलान्त।
2. श्री विजय कुमार शर्मा वकील रेस्पो० 1 व 2 की ओर से।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा वकील रेस्पो० 3 की ओर से।
4. श्री लक्ष्मण सिंह वकील रेस्पो० 4 व 6 की ओर से।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 7 की ओर से।

अपील संख्या 232/2013 जी.सी.एम.संख्या 2013/00030

1. संतोष कंवर पुत्री किशोर सिंह पत्नी श्री बीरबल सिंह निवासी मु०पो० सिंघाडिया, वाया तोषिणा, तहसील जाई, जिला नागौर।

—अपीलांत

बनाम

1. किरण कंवर पत्नी श्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर। (नाम हजफ)

2. बलवीर सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर ।
3. तंवर सिंह दत्तक पुत्र दलेल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुगालिया हाल निवासी प्लाट नम्बर 7, प्रेम नगर, पिप्लया वाली ढाणी, झोटवाडा जयपुर।
4. चांद कंवर पुत्री किशोर सिंह पत्नी श्री सम्पत सिंह निवासी बरवाली, वाया मकराना तहसील मकराना जिला नागौर।
5. राजकंवर पुत्री किशोर सिंह पत्नी श्री माथूसिंह निवासी ग्राम जलामलिया, छोटी बडी खाटू, तहसील रेनीगावं जिला नागौर
6. रूपकंवर पुत्री श्री किशोर सिंह पत्नी श्री किशोर सिंह हाल निवासी बरवाली, तहसील मकराना जिला नागौर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर ।

—रेस्पोंडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार आमेर जिला जयपुरजरिये नामा0 संख्या 30 आदेश दिनांक 25.04.2001 स्वीकार किया।

उपस्थित—

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल, वकील अपीलान्त।
2. श्री विजय कुमार शर्मा वकील रेस्पों 1 व 2 की ओर से।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा वकील रेस्पों 3 की ओर से।
4. श्री लक्ष्मण सिंह वकील रेस्पों 4 व 6 की ओर से।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—14.08.2024

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1998 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों में विवादित आराजी, विषयवस्तु समान होने से दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।
2. प्रकरणों के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि लालसिंह के दो पुत्र भंवरसिंह व दलेल सिंह हुए, भंवरसिंह के एक पुत्र किशोर सिंह हुआ, जिसके दो पुत्र तंवरसिंह व बलवीर सिंह हुए। दलेल सिंह ने तंवरसिंह को गोद ले लिया एवं दलेल सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 52 तंवरसिंह पुत्र दलेलसिंह के नाम स्वीकृत हो गया तथा किशोर सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 13 बलवीर सिंह व किरण कंवर के नाम स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 02.09.1998 को बलवीर सिंह के साथ तंवर सिंह का नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये गये एवं आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 25.04.2001 तस्दीक किया गया।
3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.1998 से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.1998 एवं नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 25.04.2001 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।


4. दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेंट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील भीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्त के पिता किशोर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 339 रकबा 4.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 4.29 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 8.64 हैक्टेयर खसरा नम्बर 303 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 3.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 5.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313/502 रकबा 5.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313/519 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 2.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 3.80 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 26.57 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। रेस्पोंडेंट तंवर सिंह के द्वारा एक जालसाजी करते हुये अपनी प्राकृतिक माता को धोखे में रखकर एवं बलवीर सिंह के नाबालिक होने के उपरान्त भी राजस्व कैम्प में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुये दिनांक 2/9/1998 को राजस्व कैम्प में एकआदेश जारी कराते हुये जरिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 30 से अपना भी नाम किशोर सिंह की विरासत में हिस्सा 1/3 में अंकित करवा लिया। जबकि तंवर सिंह के नाम दलेल सिंह की विरासत पूर्व में ही दर्ज व अंकित कर दी गई थी। इसके विपरीत भी तंवर सिंह ने मिलीभगत कर किशोर सिंह की विरासत में अपना नाम दर्ज कराया। अपीलान्त के पिता किशोर सिंह पुत्र भंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उनके समस्त पुत्र एवं पुत्रियों एवं उनकी पत्नी विरासत प्राप्त करने की विधिक अधिकारी थी। परन्तु किशोरसिंह की पुत्रियों को उनके हक व अधिकार की भूमि से महरूम रखने की गरज से बाला - बाला नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करा लिया। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक वारिसान् की किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं की गई। तहसीलदार के समक्ष जब यह बात पत्रावली पर उपलब्ध हो चुकी थी कि पूर्व के नामान्तकरण में सभी वारिसान् का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में सभी वारिसान् की जाचं कर उनको समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये नामा0 भरना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बाला-बाला बिना उनको सुनवाई किये नामान्तरकरण आदेश पारित किया जो पूर्णतः विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी आमेर का निर्णय दिनांक 02/09/1998 का था जिसकी पालना में नामान्तरकरण उक्त आदेश के 3 वर्ष पश्चात् दर्ज व अंकित किया गया। जिससे स्पष्ट था कि मात्र अपीलान्त को गुमराह करने की गरज से पूर्णतः मियाद बाहर एवं विधि विधान के विरुद्ध आदेश की पालना में नामान्तकरण दर्ज किया गया है। जो पूर्णतः विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नामा0 आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलाधीन भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आदि रेस्पोंडेंट से प्राप्त की, ना ही ग्राम पंचायत से किशोर सिंह के वारिसान् के संबंध में कोई जानकारी की। अपीलाधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्त के पिता किशोर सिंह पुत्र भंवर सिंह थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलान्त उनके विधिक उत्तराधिकारी होने से उनकी सम्पत्ति में बराबर के हकदार थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतः

विधि विधान के विरुद्ध आदेश पारित कर उनके विधिक अधिकारो का हनन किया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब पूर्व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 13 में उनका नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने का कथन किया था तो ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त कर तहसीलदार को पुनः प्रेषित कर निर्देशित करते कि किशोर सिंह के सभी वारिसान् की जाचं कर उनके सभी विधिक वारिसान् के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर पूर्व की गलती को दोहराते हुये एक ओर नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्पक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर निर्णय दिनांक 02.09.1998 एवं आदेश की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 25.04.2001 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोजेण्ट तंवर सिंह के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष किशोर सिंह की विरासत का नामान्तरकरण का आदेश दिनांक 02.09.1998 बलवीर सिंह व किरण कंवर की मजमेआम में सहमति के आधार पर हीदिया गया है एवं उक्त आदेश दिनांक 02.09.1998 की पालना में ही तहसीलदार द्वारा विधिवत नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 25.04.2001 भरा एवं स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा सभी तथ्यों की जाँच पश्चात् ही विधिवत नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्पक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि लालसिंह के दो पुत्र भंवरसिंह व दलेल सिंह हुए, भंवरसिंह के एक पुत्र किशोर सिंह हुआ, जिसके दो पुत्र तंवरसिंह व बलवीर सिंह हुए। दलेल सिंह ने तंवरसिंह को गोद ले लिया एवं दलेल सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा० संख्या 52 तंवरसिंह पुत्र दलेलसिंह के नाम स्वीकृत हो गया तथा किशोर सिंह की मृत्यु उपरान्त नामा० संख्या 13 बलवीर सिंह व किरण कंवर के नाम स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 02.09.1998 को बलवीर सिंह के साथ तंवर सिंह का नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा नामा० संख्या 30 दिनांक 25.04.2001 तस्दीक किया गया। अतः प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार किशोर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह की विरासत को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि दलेल सिंह ने तंवर सिंह को गोद लिया है एवं दलेल सिंह की विरासतनामा० संख्या 52 में तंवरसिंह पि० दलेलसिंह का अंकन है एवं इसी आधार पर तंवर सिंह को दलेल सिंह की आराजी प्राप्त हुई है। अतः उसे अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा मृतक खातेदार किशोर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह की विरासत गोद गये पुत्र तंवर सिंह को दिया जाना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के माध्यम से अपना अधिकार तय कर सकते हैं। ऐसी

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1998 एवं अपीलाधीन आदेश की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 25.04.2001 उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1998 एवं नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 25.04.2001 निरस्त किया जाता है।


(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर।